प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

19 दिसम्बर **2017**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन "केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व" आज संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवदेन जिसमें मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व' की प्रतिवदेन संख्या 42 आज संसद में प्रस्तुत किया गया हैं।

इस प्रतिवेदन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर ₹ 665.93 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 104 लेखापरीक्षा आपत्तियां हैं। मंत्रालय/विभाग ने सितम्बर 2017 तक ₹ 343.30 करोड़ के राजस्व वाली 93 लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की तथा 44 मामलों में ₹ 271.45 करोड़ की वसूली सूचित की। कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां तथा निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

अध्याय I: केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन

- वित्त वर्ष 2016-17 (वि‍व17) के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण ₹ 3,80,495 करोड़ था तथा वि‍व17 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 44.13 प्रतिशत था। वि‍व16 की तुलना में, वि‍व17 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व ₹ 93,346 करोड़ (32.51 प्रतिशत) तक बढ़ा। प्रतिबन्धित छूटों के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छोड़ा गया राजस्व वि‍व17 में ₹ 76,844 करोड़ था जो कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का 20.20 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 1.6 तथा 1.11)

- वि.व. 16 की समाप्ति पर लम्बित राशि में 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए वि‍व17 की समाप्ति पर अपील में ₹ 1,08,563 करोड़ के राजस्व वाले मामले लम्बित थे। चूंकि जब तक अपील लम्बित है तब तक राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जा सकती, सरकारी कोष में ₹ 1,08,563 करोड़ का

संभावित राजस्व ले जाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा शीघ्र निपटान महत्वपूर्ण है।

(पैराग्राफ 1.18)

अध्याय II: प्लास्टिक और उसके उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण और संग्रहण

प्लास्टिक, वि‍व16 में ₹ 6,092 करोड़ के राजस्व अंशदान सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत शीर्ष राजस्व अर्जन वस्तुओं में से एक है। लेखापरीक्षा ने कुल 119 कमिश्नरियों में से 25 कमिश्नरियों और चयनित कमिश्नरियों के अंतर्गत 25 डिविजनों और 50 रेंजों का चयन किया। लेखापरीक्षा ने प्लास्टिक क्षेत्र में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण के संबंध में विभाग द्वारा नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमियां देखीं।

- विभाग ने 2013-14 से 2015–16 की समयावधि के दौरान प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित 1,296 मामलों में से फाइल न की गई विवरणियों के 128 (100 प्रतिशत) मामलों तथा विलम्बित फाइल की गई गई विवरणियों के 809 (62.42 प्रतिशत) मामलों में न तो कोई कार्रवाई की न ही कोई शास्ति लगाई थी।

(पैराग्राफ 2.4.3)

- विभाग 2013-14 से 2015-16 की समयावधि के दौरान एसीईएस सिस्टम द्वारा समीक्षा एवं सुधार (आरएंडसी) के लिए चिन्हित 25,898 विवरणियों में से 2,900 (11.20 प्रतिशत) मामलों में आरएंडसी करने में विफल हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.4)

- लेखापरीक्षा द्वारा प्लास्टिक निर्माताओं से संबंधित 308 चयनित मामलों में से 106 मामलों में, लेखापरीक्षा ने ₹ 4.71 करोड़ के राजस्व वाली विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा अन्य चूकें देखी। अन्य 190 मामलों में, लेखापरीक्षा ने निर्धारितियों द्वारा ₹ 7.68 करोड़ के राजस्व वाले अधिनियम, नियमों आदि का अननुपालन देखा।

(पैराग्राफ 2.4.7 से 2.4.9 तथ 2.4.11)

- कर दायरे को बढाने के लिए राज्य वाणिज्य कर डाटाबेसों के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क डाटा का प्रति सत्यापन करने के लिए विभाग द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया।

(पैरागाफ 2.4.10)

अध्याय III: तम्बाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण

तम्बाकू वित्त वर्ष 2016 के दौरान ₹ 21,463 करोड का राजस्व देने वाली, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत दूसरी सबसे अधिक राजस्व अर्जन वस्तु है। लेखापरीक्षा ने कुल 119 कमिश्नरियों में 28 कमिश्नरियों और चयनित कमिश्नरियों के अंर्तगत 35 डिविजनों तथा 61 रेंजों का चयन किया। लेखापरीक्षा ने तम्बाकू उत्पादों से संबंधित अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन में कमियां देखी जिन्हे बीडी इकाईयां, जो अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र में प्रचालन करती हैं, द्वारा विवरणियां फाइल करने की पहचान करने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र की कमी, विभाग द्वारा निर्धारित अभिलेखों के अनुरक्षण के खराब प्रवर्तन तथा सिगरेट इकाईयों की तिमाही जांच न करने के द्वारा दर्शाया गया। पान मसाला तथा चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग, पाउचों के 'माने गये उत्पादन' के अतिरिक्त असामान्य अधिक उत्पादन का संज्ञान लेने में विफल हुआ जिसके कारण राजस्व की हानि हुई। महत्वपूर्ण आपत्तियां निम्नलिखित है:

- विभाग ने 2013-14 से 2015-16 तक की समयावधि के दौरान 3,838 मामलों में से फाइल न की गई विवरणियों के 3,822 (99.58 प्रतिशत) मामलों तथा विलम्बित फाइल विवरणियों के 1,480 मामलों में से 901 (60.88 प्रतिशत) मामलों में न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई शास्ति लगाई।

(पैराग्रफ 3.4.1)

- एसीईएस सिस्टम द्वारा समीक्षा एवं सुधार (आरएंडसी) के लिए चिन्हित 46,676 विवरणियों में से विभाग 2013-14 से 2015-16 तक की समयावधि के दौरान 10,071 (21.53 प्रतिशत) मामलों में आरएंडसी करने में विफल हुआ।

(पैराग्राफ 3.4.2)

- चबाने वाले तम्बाकू/पान मसाले पर शुल्क के भुगतान के नमूना जांच किए गए 10 मामलों में, लेखापरीक्षा ने 'माने गये उत्पादन', जो कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण का आधार है, से 325 प्रतिशत तक अधिक उत्पादन देखा। इसका राजस्व प्रभाव ₹ 309.18 करोड़ हैं।

(पैराग्राफ 3.6.3)

- तम्बाकू विनिर्माताओं से संबंधित 40 मामलों में, लेखापरीक्षा ने निर्धारितियों द्वारा ₹ 97.72 लाख के राजस्व वाले अधिनियम, नियमों आदि का अननुपालन देखा।

(पैराग्राफ 3.7)

अध्याय IV: नियमों और विनियमों का अननुपालन

- अपनी नमूना जांच के दौरान हमने ₹ 45.40 करोड़ के राजस्व वाले सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेने तथा उपयोग करने, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के 44 महत्वपूर्ण मामले देखे जो इस प्रतिवेदन में उल्लिखित हैं। अनियमितताएं वर्ष दर वर्ष बनी रही हैं क्योंकि विभाग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्रवाई ना करके केवल लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों में ही सुधारात्मक कार्रवाई करता हैं।

(पैराग्राफ 4.1)

अध्याय V: आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा ने विभाग के विवरणियों की संवीक्षा करने, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा अन्य कार्यों में असफलता देखी। नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमियों तथा अन्य मुद्दो से सम्बंधित इस प्रतिवेदन में उल्लेख करने हेतु महत्वपूर्ण समझे गये, ₹ 279.19 करोड़ के राजस्व वाले, 58 मामले देखे।

(पैराग्राफ 5.2)